रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929

No. 443] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 635(अ).—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 एन की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 के खंड (जी iii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती पद्धति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उपरोक्त पदों की संख्या उनका कॉलम (2) से (4) में विशेष रूप से उल्लिखित के अनुसार होगा ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उपरोक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले, उपरोक्त अनुसूची में विशेष रूप से कॉलम (5) से (14) में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

5. प्रारंभिक गठन.—(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन बाघ परियोजना में पदधारी अधिकारी इन नियमों के नियमित रूप से लागू होने के तुरंत पहले इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारियों के समान होंगे ।

(2) परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति के लिए योग्यता सेवा, सेवा में पुष्टि और पेंशन से तुरंत पहले 3 संबंधित ग्रेड में उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित एवं निरंतर सेवा ।

इन नियमों के लागू होने से पहले सीधी नियुक्ति वालों अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि उनकी नियुक्ति की तिथि से गिनी जाएगी :

बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने से पूर्व सीधी नियुक्ति वालों की पदोन्नति के लिए सेवा की लम्बाई की पात्रता प्रवेश की तारीख से गिनी जाएगी ।

6. सेवा की शर्तें :- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, छुट्टी, भविष्यनिधि, सेवा निवृत्ति की आयु, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवा शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों से विनियमित होंगी जो श्रेणी ए , श्रेणी बी, श्रेणी सी, और श्रेणी डी, जैसा भी मामला हो, उन स्थानों के वेतनमान के अनुरुप समयबद्ध रुप से लागू होंगे ।

7. अपात्रता - वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी एक पत्नी पहले से है ।
(ख) जिसने एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया है ।

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और अन्य पदों पर लागू पर्सनल ला के अंतर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट होगी ।

8. छूट देने का अधिकार - जहां राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो लिखित में रिकार्ड किए गए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

9 शर्त:- इन नियमों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए गए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होगी ।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ (पेंशन) नियम 1972 स्वीकार्य है ।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं

1	2	3	4	5	6	7	8
1. संयुक्त निदेशक/उप वन महानिरीक्षक	1* 2007 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	श्रेणी 'क'	16400-450-20000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रति नियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति से भर्ती के मामले में प्रतिनियुक्ति ग्रेड जिससे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति की जानी है ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसका संघटन क्या है ।	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय/ राज्य सरकारों / सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों के अधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अथवा (ii) 12000-18000 रु0 के वेतनमान का पद धारण करने वाले उस ग्रेड में नियमित रुप से छः वर्ष की सेवा और (ख) संरक्षित क्षेत्र के बाघ रिजर्व में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अथवा अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 2 आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2. सहायक वन महानिरीक्षक	1*(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	श्रेणी "क"	12000-375-18000 रू.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय/ राज्य सरकारों / सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों के अधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अथवा (ii) 10,000-15200/-के वेतनमान का पद धारण करने वाले अथवा उस ग्रेड में नियमित रुप से पांच: वर्ष की सेवा (ख) वन्यजीव प्रबंधन में कम से कम पांच वर्ष का फील्ड अनुभव नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अथवा अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 2 आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3.वन्यजीव जीव वैज्ञानिक	1 *(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन	वर्ग क'	12000-375-16500रु.	लागू नहीं	35 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी/केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पांगी संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)	लागू नहीं	वन्य जीव विज्ञान में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वन्यजीव विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या समकक्ष

9	10	11	12	13	14
लागू नही	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नोट:- प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पद धारी द्वारा बाहर रहने पर हुई रिक्ति को केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में समान पद धारित और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है ।	लागू नहीं	श्रेणी ' क ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) - अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षप्प प्राधिकरण - सदस्य 5. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण -, सदस्य	लागू नहीं

1	2 * (2007)	3	4	5	6	7	8
4. **भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीशियन**	कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	श्रेणी ' क '	10,000-325 - 15200 रू.	लागू नहीं	35 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट)	लागू नहीं	भौगोलिक सूचना प्रणाली में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग अथवा वास्तुशिल्प में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष

					नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पंगी, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नोट:- प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पद धारी द्वारा बाहर रहने पर हुई रिक्ति को केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में समान पद धारित और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है ।	लागू नहीं	श्रेणी ' क ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1 अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)- अध्यक्ष 2 सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4 संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य 5. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं -

1	2	3	4	5	6	7	8
5.वित्त अधिकारी	1 *(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	वर्ग 'ख'	8000-275-13500/रु0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (क) (i) समान पद धारी, अथवा (ii) ग्रेड में 8 साल की नियमित सेवा सहित 6500-10500 रु0 के वेतनमान में समान पद धारी अथवा समकक्ष	प्रतिनियुक्ति लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं, रक्षा लेखा सेवाएं, रेलवे लेखा सेवाओं के अधिकारी नोट 1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अथवा अन्य संगठन/ केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाहय पद पर नियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 2. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होती	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
6.रजिस्ट्रार	1* (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	श्रेणी 'ख'	7500-250-12000/रु0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय/ राज्य सरकार / सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी अथवा (i) नियमित आधार पर समान पदधारी (ii) 6500-10500 रु0 में अथवा समान ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ समान पदधारी (ख) प्रशासनिक और अवस्थापना मामलों में पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अथवा अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर	लागू नहीं	लागू नहीं

			प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 2 आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

1	2	3	4	5	6	7	8
7. आंकडा विषलेषक	1 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	श्रेणी 'ग'	6500-200 - 10500 रु0	लागू नहीं	25 से 30 वर्ष की आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा,सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पंगी संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)	लागू नहीं	केन्द्रीय / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में आंकडा विश्लेषक के पद पर कम से कम तीन वर्षों के अनुभव सहित कंप्यूटर अनुप्रयोग, बर्ड प्रोसेसिंग में प्रवीणता तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- अध्यक्ष 2 उप वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
8.प्रोग्रामर	1 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	श्रेणी ' ग '	5500-175 - 9000 रु0	लागू नहीं	25 से 30 वर्ष की आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम,	लागू नहीं	केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा सहित संबंधित अनुप्रयोगों और वेबसाइट के रख रखाव में तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष

					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा,सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीतिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पंगी , संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिएं निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) 1 सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- अध्यक्ष 2 उप वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
9.आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'ख'	1 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन	श्रेणी 'ग'	5000-150-8000 रु0	लागू नहीं	25 से 30 वर्ष की आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा,सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीति जिलें तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पांगी,संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)	लागू नहीं	आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष और (ii) संबंधित कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रवीणता सहित केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों या संगठनों में डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग, डाटा प्रोसेसिंग में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - अध्यक्ष 2 उप वन महानिरीक्षक (वन्यजीव) - सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
10.आंकडा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड ' क '	2 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनों के अध्यधीन	श्रेणी ' ग '	4000-100-6000 रु0	गैर चयनित	25 से 30 वर्ष की आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी	लागू नहीं	आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष और (ii) संबंधित कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रवीणता सहित केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों या संगठनों में डाटा एंट्री, प्रोग्रमिंग, डाटा प्रोसेसिंग में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त

					(असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा,सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीत जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग , के संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)		विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- अध्यक्ष 2 उप. वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नही

9	10	11	12	13	14
लागू नही	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- अध्यक्ष 2 उप वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
11. चपरासी	2 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनों के अध्यधीन	श्रेणी ' घ '	2550-55-2660-60-3200 रु0	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) नोट-1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड,	लागू नहीं	आवश्यक (i) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण समकक्ष और (ii) साइकिल चलाने का ज्ञान

					त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, – जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पंगी, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं) नोट-2. रोजगार कार्यालय से भेजें गए उम्मीदवारों के मामलें में आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि रोजगार केन्द्र से उम्मीदवारों के नाम मांगे जाने की अंतिम तिथि तक होगी।		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए 1. सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - अध्यक्ष 2. उप वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)- सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं.15/1/2006-एनटीसीए]

डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य-सचिव (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by clause (giii) of section 63 read with sub-section (2) of section 38N of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of the officers and other employees of the National Tiger Conservation Authority, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the National Tiger Conservation Authority (Recruitment and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.– The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.– The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. Initial constitution.– (1) Officers holding posts in the Project Tiger under the Ministry of Environment and Forests, immediately before commencement of these rules on a regular basis, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular and continuous service of officers referred in sub-rule (1) in the respective grades immediately before probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service:

Provided that eligibility length of service for promotions to those appointed directly before commencement of these rules shall count from the date of entry.

6. Conditions of Service.– The conditions of service of the officers and other employees of the National Tiger Conservation Authority in matters of Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, age of superannuation, pension and other retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees to Group A, Group B, Group C and Group D, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those places.

7. Disqualification.– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Power to relax.– Where the National Tiger Conservation Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Environment and Forests, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of Pay.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services	Educational and other qualifications required for direct recruits.

						(Pension) Rules, 1972.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Joint Director/Deputy Inspector General of Forests.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'A'.	Rs. 16400-450-20000.	Not applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation grade from which promotion/deputation to be made.	If a Departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	By deputation	By deputation: Officer of the Indian Forest Service under the Central/State Governments/Statutory or Autonomous Bodies (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding posts in the scale of pay of Rs. 12000-18000 or equivalent with six year's regular service in the grade; and (b) having at least five years of experience in a tiger reserve of protected area. Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Assistant Inspector General of Forests.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'A'.	Rs. 12000-375-18000.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	By deputation: Officer of the Indian Forest Service under the Central/State Governments/Statutory or Autonomous Bodies (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding posts in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent with five year's regular service in the grade; and (b) having at least five years field experience in wildlife management. Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Wildlife Biologist.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'A'.	Rs. 12000-375-16500.	Not applicable.	35 years (Relaxable for Government Servants/Employees of Autonomous Organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidate and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Not applicable.	Doctoral Degree in Wildlife Science or Life Sciences from a recognised University or equivalent with at least five years experience in the field of wildlife sciences.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or leave or under other circumstances for a period of one year or more, may be filled up on deputation from officials of the Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies holding similar posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits.	Not applicable.	Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Additional Director General of Forests (Wildlife) – Chairman 2. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Joint Director, National Tiger Conservation Authority-Member 5. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority– Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Geographical Information System Technician.	2 * (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'A'.	Rs. 10000-325-15200.	Not applicable.	35 years (Relaxable for Government Servants/ Employees of Autonomous Organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidate and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government	Not applicable.	Three year Diploma in Civil Engineering or Architecture from a recognised University or Institute or equivalent with at least five years experience in Geographical Information System with.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					from time to time) Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep.		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or leave or under other circumstances for a period of one year or more, may be filled up on deputation from officials of the Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies holding similar posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits.	Not applicable.	Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation 1. Additional Director General of Forests (Wildlife) – Chairman 2. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Joint Director, National Tiger Conservation Authority-Member 5. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Finance Officer.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group "B".	Rs. 8000-275-13500.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (a) (i) holding analogous posts; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent with eight years of regular service in the grade.	Deputation: Officers of the Audit and Accounts Service, Defence Account Service, Railway Account Service Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.Registrar.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'B'.	Rs. 7500-250-12000.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers under the Central/State Governments/Statutory or Autonomous Bodies – (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding posts in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent with three years regular service in the grade; and (b) possessing five years experience in administrative and establishment matters. Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not Applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.Data Analyst.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'C'.	Rs. 6500-200-10500.	Not applicable.	25 to 30 years of age (Relaxable for Government Servants/Employees of autonomous organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date	Not applicable.	Bachelor's Degree of a recognized University or equivalent, with proficiency in computer applications, word processing with at least three years experience as data analyst in Central/State Government or an autonomous organization under the Central/State Government.

					for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - **Chairman** 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) – Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.Programmer.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'C'.	Rs. 5500-175-9000.	Not applicable.	25 to 30 years of age (Relaxable for Government Servants/Employees of Autonomous Organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Not applicable.	Bachelor's degree from recognised University or equivalent, with diploma in computer programming from a Institute recognised by the Central/State Government having at least three years experience in the field along with related applications and maintenance of website.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - **Chairman** 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) – Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. Data Entry Operator Grade 'B'.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group "C".	Rs. 5000-150-8000.	Not applicable.	25 to 30 years of age (Relaxable for Government Servants/Employees of Autonomous Organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Union Territory of Lakshadweep).	Not applicable.	Essential: (i). Bachelor's degree from a recognized University or equivalent; and (ii). At least five year's experience in Central/State Government Departments or organizations data entry, programming, data processing with proficiency in related computer applications. Desirable: Diploma in computer applications from a recognised University or Institute or equivalent.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - **Chairman** 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) – Member 3.An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.Data Entry Operator Grade 'A'.	2* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'C'.	Rs. 4000-100-6000.	Non-selection.	25 to 30 years of age (Relaxable for Government Servants/Employees of Autonomous Organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing	Not applicable.	Essential: (i). Bachelor's degree from a recognized University or equivalent; and (ii). At least three year's experience in Central/State Government departments or organizations in data entry, data processing with proficiency in related computer applications. Desirable: Diploma in computer applications from a recognised University or Institute equivalent.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years .	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - **Chairman** 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) – Member 3.An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Peon.	2* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'D'.	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable upto 40 years for Government servants/employees of Autonomous Organizations under the Central Government in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spirit District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Not applicable.	Essential: (i). Passed 8th standard or equivalent; and (ii). Knowing cycling.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - **Chairman** 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) – Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority– Member	Not applicable.

[F. No. 15-1/2006-NTCA]

Dr. RAJESH GOPAL, Member-Secy. (National Tiger Conservation Authority)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 636(अ).— केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (जी वी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के स्वरुप और तारीख तथा वार्षिक लेखा विवरण को विनिर्दिष्ट करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :

1. लघु शीर्ष और (आरम्भ---(1) इन नियमों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण) नियमावली, 2007 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषा - इन नियमों में, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) " अधिनियम " का तात्पर्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) है ।

(ख) " स्वरुप " का तात्पर्य इन नियमों के साथ अनुबद्ध स्वरुप ।

(ग) "सदस्य- सचिव" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 38 एल की उपधारा (2) के खंड (0) के अंतर्गत नियुक्त बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य सचिव है ।

(घ) " बाघ संरक्षण प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ।

3. बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट :- (1) सदस्य सचिव अथवा इसके लिए सदस्य सचिव द्वारा विधिवत प्राधिकृत बाघ संरक्षण प्राधिकरण का कोई अन्य अधिकारी अगले वित्तीय वर्ष, जिससे वह रिपोर्ट सम्बद्ध है, की अगली जुलाई की 31 तारीख को अथवा उससे पूर्व अधिनियम की धारा 38 एस में संदर्भित फार्म " ए" में दिए विवरण को देखते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे ।

(2) बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित वार्षिक रिपोर्ट को सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(3) अधिप्रमाणित रिपोर्ट की दो प्रतियां सदस्य सचिव द्वारा केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 38 टी के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए संबंधित वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के अगस्त के अंत तक प्रस्तुत करेगा ।

4. बाघ संरक्षण प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण- बाघ संरक्षण प्राधिकरण लेखा का रखरखाव करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 38 आर में उल्लिखित लेखा का वार्षिक विवरण फार्म बी में तैयार करेगा ।